भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 991
उत्तर देने की तारीख : गुरूवार, 13 फरवरी, 2025
24 माघ, 1946 (शक)

"अडॉप्ट ए हेरीटेज" योजना

991. **श्रीमती फूलो देवी नेतम:**
श्री हरिस बीरन:
श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "अडॉप्ट ए हेरीटेज" योजना के तहत राज्य के पुरातात्विक विभागों, विश्वविद्यालयों और निजी संस्थाओं को आउटसोर्स की गई परियोजनाओं की गुणवत्ता और अखंडता बनाए रखने के लिए मौजूदा सुरक्षा उपाय क्या हैं;

(ख) ऐसी परियोजनाओं को करने के लिए राज्यों और विश्वविद्यालयों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष में इन सहयोगों के लिए आवंटित धन का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन सहयोगों में पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): एडॉप्ट ए हैरिटेज 2.0 कार्यक्रम के तहत राज्य पुरातत्व विभागों और विश्वविद्यालयों के साथ काम करने का कोई प्रावधान नहीं है।

संरक्षित स्मारकों में परिभाषित सुविधाएं विकसित/प्रदान करने के लिए निजी/सरकारी सेक्टर की कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों/न्यासों/सोसाइटियों आदि के साथ मिलकर उनके स्वयं के पैसे से एक ढ़ांचा तैयार करने के लिए एडॉप्ट ए हैरिटेज कार्यक्रम 2.0 भी शुरू किया गया था ताकि पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध किया जा सके और संरक्षित स्मारकों को पर्यटक अनुकूल बनाया जा सके। सरकार द्वारा ऐसी किसी संस्था को इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

साझेदार संस्थाओं द्वारा सुविधाएं प्रदान कराने का काम केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुमोदन से और कड़ी निगरानी के तहत किया जाता है ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

(ग): एडॉप्ट ए हैरिटेज 2.0 कार्यक्रम के तहत गोद लिए जाने के लिए उपलब्ध स्मारकों की सूची एक डेडिकेटिड पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती है जिसमें इच्छुक संस्थाओं को पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है।

कार्यक्रम में इच्छुक संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों का एक "अनुमोदन और कार्यान्वयन समिति" द्वारा मूल्याकंन किए जाने का प्रावधान है। साझेदार संस्थान द्वारा उक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही कार्य निष्पादन किया जाता है और कार्य निष्पादन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कड़ी निगरानी में किया जाता हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम के अंतर्गत अर्ध-वाणिज्यिक कार्यकलापों के माध्यम से अर्जित सभी राजस्व को एक समर्पित लेखे में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग केवल गोद किए गए स्मारक को बनाए रखने, विकास, संचालन और रख-रखाव के लिया किया जाता है। साझेदार संस्थाओं को इसके लिए अर्धवार्षिक आधार पर विधिवत् लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।